जमीन

कहानी
तीन जनविरोधी कानूनों की

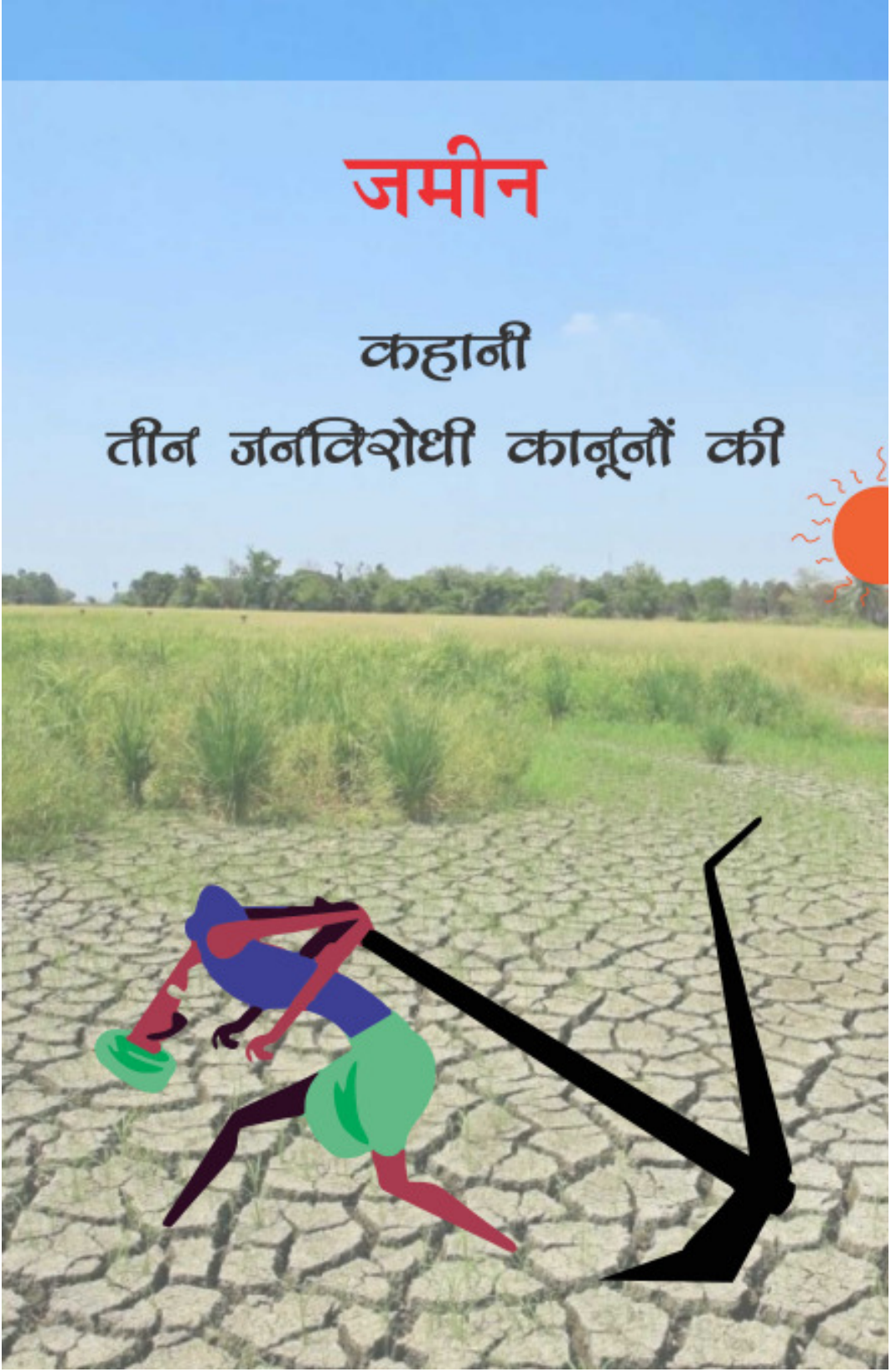

सुनो हिटलर

वेणु गोपाल

हम गायेंगे अंधेरों में भी
जंगलों में भी, बस्तियों में भी
पहाड़ों में भी, मैदानों में भी!

आंखों से, होंठों से, हाथों से, पाँवों से
समूचे जिस्म से ओ हिटलर !

हमारे घाव, हमारी झुर्रियां
हमारी बिवाइयां
हमारे बेवक्त पके बाल
हमारी मार खाई पीठ, घुटता गला
सभी तो आकाश गुनगुना रहे हैं
तुम कब तक दाँत पीसते रहोगे?
हिटलर ....!
हम गा रहे हैं!

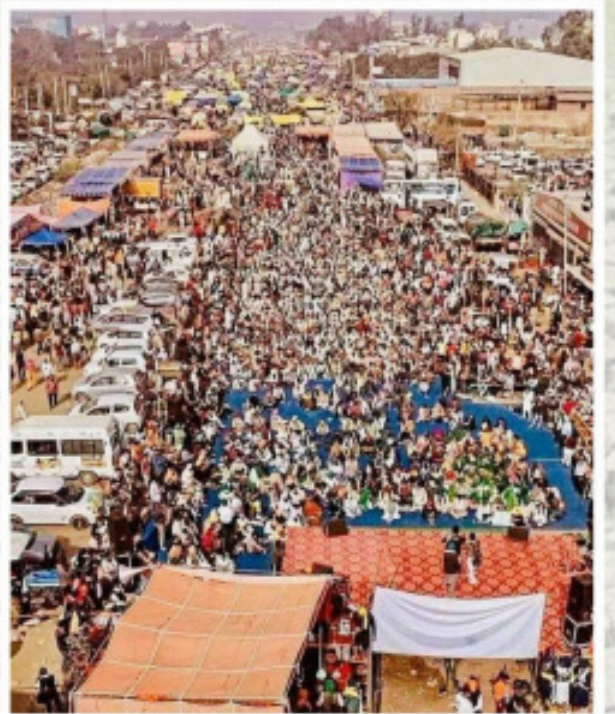

जमीन

कहानी
तीन जनविरोधी कानूनों की

अभियान
प्रकाशन

जमीन

कहानी
तीन जन–विरोधी कानूनों की

सहयोग राशि : 20 रुपये
प्रथम मुद्रण : 07 जुलाई, 2021 (शहीदी दिवस - पीर अली खां)
प्रतियां : 2000

पुस्तक प्राप्ति हेतु संपर्क करें-
डॉ० सुरेन्द्र कुमार 'भारती'
Smile Care Centre,
75-Shopping Complex, Sector-1
Rohtak-124001, Haryana
Mobile- 9466366060

अभियान प्रकाशन

इस पुस्तक अथवा इसके किसी भी भाग का जनहित में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है

क्रम

01. मोदी सरकार के तीन जन-विरोधी कानून : खेती किसानी की तबाही के दस्तावेज 08
02. सरकारी सहयोग बिना खेती संभव नहीं/ज्ञानेंद्र सिहं 11
03. असली निशाना जमीन ही है 14
04. मेक्सिको की राह पर बढ़ता भारत 16
05. इतिहास का सबक 18
06. भूमंडलीकरण से बर्बाद भारत के तिलहन के किसानों की दास्तां 19
07. भारतीय खेती पर अभूतपूर्व साम्राज्यवादी हमला और लड़खड़ाता किसान/ज्ञानेंद्र सिंह 20
08. पंजाब : पिछले तीन दशक के अनुभव 25
09. कृषि कानूनों पर नयी सरकारी किताब में बड़े बड़े दावों के अलावा सफेद झूठ भी/डॉ० राजेन्द्र चौधरी 27
10. किसान आंदोलन और नए कंपनी राज के खतरे : अब बाकी देश को आगे आना होगा/डॉ० राजेन्द्र चौधरी 30
11. वर्तमान खेती संकट के हल व स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवाने हेतु मजदूर-किसान एकजुट हों! 35

किसान व किसानी के
सवालों से रूबरू
कराती यह पुस्तिका
समर्पित है –
उस नौजवान पीढ़ी को
जो आज भी शहीदों के
अन्याय व शोषण रहित
समाज
के अधूरे सपने को
पूरा करने हेतु
बेचैन है !
संघर्षरत है !!
दृढ़प्रतिज्ञ है !!!
कृत–संकल्प है !!!!

जंग अभी जारी है!

मोदी सरकार के तीन जन-विरोधी कानून खेती किसानी की तबाही के दस्तावेज

दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक किसान आंदोलन जारी है। आरएसएस भाजपा के तमाम हथकंडों के बावजूद देश के किसान तीन जन-विरोधी कानूनों को निरस्त करवाने पर अडिग हैं। खुद मोदी सरकार, गोदी मीडिया, तथाकथित सोशल मीडिया पर तैनात संघी ट्रोल आर्मी द्वारा किसान आंदोलन के अंदर धर्म के आधार पर फूट पैदा करने की तमाम कोशिशों, कुप्रचार व राजकीय दमन के बावजूद किसानों के होंसले बुलंद हैं। मोदी सरकार इस आंदोलन को चाहे कितना भी बदनाम करे, फिर भी किसानों की चिंताएं जायज हैं।

मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के लागू होने के बाद कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा। कृषि देश की आधी से ज्यादा श्रमशक्ति को रोजगार देती है। देश की 70% आबादी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के काफी क्षेत्र बंद पड़े हैं। ऐसे मोड़ पर सरकार ने कृषि क्षेत्र को ओपन करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम का अर्थ है कि अब भारत का कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये खुल चुका है।

देश का कृषक समाज मुखर होकर इन कृषि कानूनों का विरोध बेहद तार्किक ढंग से कर रहा है। इन तीन कानूनों पर कृषक समाज की दलीलें क्रमानुसार पेश हैं:-

पहला कानून : कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून-2020

इस कानून के लागू होने से सरकारी अनाज मंडियों की व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी। इस कानून द्वारा सरकार पूंजीपतियों को कृषि उपजों के क्रय-विक्रय की खूली छूट दे रही है। इसके लिये कृषि उपजों की खरीद फरोख्त करने वाले पूंजीपतियों को किसी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कोई जवाबदेही। सरकार के नियंत्रण के बाहर यह गोरखधंधा चलेगा जिसमें एक तरफ असहाय किसान होगा, दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी कंपनियां! प्रधानमंत्री मोदी संसद में कहते हैं कि नये कृषि कानूनों के बारे किसानों को गुमराह किया गया है। सरकार बहादुर कहते हैं कि इस कानून में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एपीएमसी कानून व सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करता हो, बल्कि मोदी सरकार तो मंडियों को और ज्यादा मजबूत (?) बनाने को कृतसंकल्प है। सरकार ने बजट में भी इसके लिये रकम आर्बटित की है। पर किसान अब सरकारी जुमलेबाजी को बखूबी समझता है। शिक्षा क्षेत्र को निजी हाथों में थमाने के बाद आज सरकारी स्कूलों की जो दशा हो चुकी है, इस कानून के आने से, भविष्य में वही हाल एपीएमसी मंडियों का होने वाला है। ऐसे में, सरकार ने जो काले कानून पास किये हैं, किसान उनको अच्छे से समझता है। आपके कानून की धारायें, उप-धारायें ही नहीं, अपितु जो कुछ कानून में दर्ज भी नहीं किया गया है, वह भी तथा इन कानूनों के जरिये खेती को अंबानी व अडानी सहित वैश्विक गिद्धों के हवाले करने के नापाक इरादों को भी अब किसान अच्छे से समझता है। यह कानून सरकारी मंडियों को बाईपास करने वाला कानून है। शिक्षा और स्वास्थ्य की भांति अब भोजन भी

आम आदमी की पहुंच से बाहर होने वाला है। क्योंकि नई व्यवस्था के कारण खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगेंगे। सरकारी मंडियां एकदम नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बंद होगी। इसके साथ ही M.S.P. की व्यवस्था भी दम तोड़ जायेगी क्योंकि यह व्यवस्था सरकारी मंडियों में ही लागू है।

किसानों को आजादी देने के नाम पर पास किये गये इस कानून से देशी-विदेशी मुनाफाखोर कंपनियों के वारे-न्यारे होंगे। किसानों और छोटे व्यापारियों को तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस कानून की सबसे ज्यादा मार आम उपभोक्ता पर पड़ेगी। क्योंकि बड़े व्यापारी व कंपनियां मनमर्जी से खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ायेंगे। ये कानून कालाबाजारी की खूली छूट देते हैं।

भविष्य में सरकार खुद ज्यादा अनाजों की खरीद नहीं करने की योजना बना रही है। सरकार चाहती है कि कृषि उपजें ज्यादा से ज्यादा निजी बाजारों में बिकें ताकि सरकार का इनके भंडारण व वितरण से पिंड छूटे!

दूसरा कानून : कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा अनुबंध कानून-2020

यह कानून सरकार ने इसलिये बनाया है ताकि भारत में कांट्रेक्ट फार्मिंग का रास्ता साफ किया जा सके। सरकार ने इसे नाम तो **कृषक-सशक्तिकरण-कानून** का दिया है परन्तु असल में यह है - **कंपनी-द्वारा-खेती-कानून**! जैसे जहर की बोतल पर कोई अमृत लिखकर बेचता है, सरकार वही धोखा कर रही है। इस कानून के अनुसार बड़ी-बड़ी कंपनियां सीधे किसानों के साथ खेती करने का करार कर सकेंगी। बल्कि वे खुद ही खेती करेंगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के सेवानिवृत प्रोफेसर **डॉ० राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि अनुबंध खेती का अर्थ बुवाई के समय ही बिक्री का सौदा होता है ताकि किसान को भाव की चिंता न रहे।** सरकार द्वारा पारित वर्तमान कानून में अनुबंध की परिभाषा को मात्र बिक्री तक सीमित न करके, उसमें सभी किस्म के कृषि कार्यों व सेवाओं को शामिल किया गया है। इस कानून के अनुसार एग्रीमेंट केवल उपज खरीदने का नहीं होगा बल्कि कंपनियां खुद खेती करेंगी। छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर बड़े-बड़े खेत बनेंगे। खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ेगा। मानवश्रम की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। खेती में रोजगार कम हो जायेगा।

कंपनी-खेती का सबसे बुरा प्रभाव बटाई या ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले ग्रामीण तबके पर पड़ने वाला है। इनमें बड़ी संख्या भूमिहीन दलितों की है। यह गरीब तबका खेती करने वाली विशाल कंपनियों की बराबरी नहीं कर सकता। ये एकदम बेरोजगार हो जायेंगे। भूमिहीन पशुपालकों का जीवन भी खतरे में पड़ने वाला है। खेतों की मेंडों से घास खुरचकर पशुपालन करना अब असंभव हो जायेगा। इस पहलू पर बहुत कम चर्चा की जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 26.3 करोड़ परिवार खेती कार्य करते हैं। इनमें से केवल 11.9 करोड़ किसानों के पास खुद की जमीन है। जबकि 14.4 करोड़ किसान भूमिहीन हैं। भूमिहीन किसानों की बड़ी संख्या बटाई पर खेती करती है। अब यह गरीब तबका विशालकाय कंपनियों से मुकाबला कैसे करेगा? यह कानून भारत के 14.4 करोड़ भूमिहीन किसानों के भविष्य को प्रभावित करने जा रहा है।

तीसरा कानून : आवश्यक वस्तु संशोधन कानून-2020

यह कानून बड़े व्यापारियों व कंपनियों को असीमित भंडारण की छूट देता है। यह कानून

कमरतोड़ महंगाई का दस्तावेज है। इस संशोधन से **आवश्यक वस्तु अधिनियम** को कमजोर कर दिया गया है। अब **अनाज, दालों, तेल, आलू, प्याज** आदि पर यह कानून लागू नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ही काम करेगा। खाद्य-उद्योग व निर्यात आदि में लगी कंपनियों पर विशेष परिस्थिति में भी रोक नहीं लगेगी। अब इन कंपनियों पर जमाखोरी करने पर कोई रोक नहीं होगी। किसान इस कानून का फायदा इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास भंडारण के लिये कोल्ड स्टोर नहीं है। ऐसे में महंगाई तांडव करेगी! कंपनियां मौज उड़ाएंगी तथा आम आदमी, मजदूर, किसान, छोटे दुकानदार तथा छोटे व्यापारियों के पसीने छूटने वाले हैं!

कानून में स्पष्ट लिखा है कि सरकार जमाखोरी पर तभी कार्रवाई कर सकती है जब बाजार में वस्तुओं के रेट दोगुणे हो जाएं। यह महंगाई बढ़ाने की खूली छूट देना नहीं तो और क्या है?

सबसे ज्यादा उच्च स्केल पर देशभक्ति का राग अलापने वाली मोदी सरकार ने देश के कृषिक्षेत्र व विशाल कृषक आबादी को 'आत्मनिर्भरता' और 'विकास' के नाम पर वैश्विक दैत्यों के सामने असहाय छोड़ दिया है। इन काले कानूनों के जरिये मोदी सरकार उन बचे खुचे संरक्षणों को भी समाप्त कर रही है जो भारत के किसानों को सहारा देते थे और भूमंडलीकरण के युग में भारत की खेती-किसानी को भारी आर्थिक भूचालों से बचाते थे।

अब यह देश की तमाम मेहनतकश जनता के हाथ में है कि वह या तो इन जनविरोधी कानूनों को अपने भाग्य का खेल समझकर स्वीकार कर ले या फिर इन्हें निरस्त करवाने के लिये राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जारी कृषकों के ऐतिहासिक आंदोलन को सफल बनाने के लिये एकजुट हो उठ खड़ी हो और इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत लगा दे! ●●